संख्या-01 /2018/3001/46-3-17-3(57)/2017

प्रेषक

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी ,
उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2018**

विषय- गन्ना पेराई सत्र के दौरान घटतौली रोकने एवं उस पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं तद्विषयक नियमावली, 1954 के प्राविधानों के अधीन नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु गन्ना आयुक्त, उ. प्र.-सक्षम प्राधिकारी हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक पेराई सत्र में चीनी मिल संचालन, गन्ना पेराई, चीनी मिल गेट/क्रय क्रेन्द्रों पर सही तौल किये जाने व घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं। उनके स्तर से निर्गत किये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के बावजूद भी घटतौली आदि की शिकायतें शासन को प्राप्त हो रही हैं, जो गन्ना कृषकों के हितों एवं नियमों में दी गई व्यवस्था/प्रक्रिया के विपरीत है। यद्यपि घटतौली रोके जाने के संबंध में गन्ना आयुक्त, उ.प्र. के पत्र संख्या-56/सी/सां., दिनांक 10.11.2017 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, तथापि उक्त निर्देशों को आपके संज्ञान में लाने एवं घटतौली रोकने के साथ ही साथ उस पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा ऐसे मामलों संज्ञान में आने पर आपके स्तर से भी त्वरित व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जानी जनहित/गन्ना कृषक हित में आवश्यक है।

2- अतः गन्ना पेराई सत्र के दौरान घटतौली रोकने व उस पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत, शासन स्तर से दिये जा रहे कम्पोजिट दिशा-निर्देशों के अनुसार जनपदों में **जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी** /जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा गन्ना विभाग के जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारियों के स्तर से प्रभावी समीक्षा/अनुश्रवण सहित, निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः-

पेराई सत्र के दौरान घटतौली रोकने एवं उस पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

(क) चीनी मिल गेट-

(1) चीनी मिल गेट पर गन्ने की गाड़ियों के लिए बने यार्ड का निरीक्षण चीनी मिल चलने से पूर्व कर निरीक्षण पत्र पर अंकित किया जाये एवं उनका निराकरण भी करा लिया जाये। उक्त निरीक्षण की एक-एक प्रति अध्यासी, आयुक्त गन्ना एवं चीनी तथा सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त को भेज दिया जाये। तथा चीनी मिल गेट पर मानक के अनुरूप गन्ना आपूर्ति करने वाले कृषकों के जानवरों हेतु भी पर्याप्त क्षमता की नॉद में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाये। वाह्य क्रय केन्द्रों पर हैण्डपम्प चालू हालत में रखे जाये। वाह्य केन्द्रों पर तथा मिल यार्ड के अन्दर सड़को को दुरूस्त रखा जाये। मिल यार्ड में प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखी जाये तथा शेड पर्याप्त मात्रा में बनवाया जाये। उपर्युक्त समस्त कार्यवाही गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त सम्पादित करेंगे तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कराकर उसकी विस्तृत रिपोर्ट गन्ना एवं चीनी आयुक्त को प्रस्तुत करें।

(2) चीनी मिल गेट तथा वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों पर उपलब्ध रहने वाली निरीक्षण पंजिका के पृष्ठ (प्रत्येक चार प्रतियों में) गन्ना निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जायेगें तथा प्रत्येक पृष्ठ क्रमांकित व मुख्यालय के निर्धारित प्रारूप पर होगा। उक्त निरीक्षण पंजिका ए-4 साइज पर मुद्रित करायी जायेगी। हर स्थिति में निर्धारित प्रारूप पर ही अंकन किया जाये। किसी भी दशा में सादा कागज पर निरीक्षण टिप्पणी अंकित न की जाय। निरीक्षण पंजिका का प्रारुप निम्नवत् होगाः-

<u>निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारुप</u>

क्रम संख्या.....

चीनी मिल का नाम ..... पेराई सत्र..... दिनांक/समय.....

निरीक्षणकर्ता का नाम/पदनाम ..... क्रय केन्द्र का नाम.....

मिल तौल लिपिक का नाम एवं पता

समिति लिपिक का नाम/पता..... कांटे की तौल क्षमता.....टन
कांटे का प्रकार मैनुअल/एस.एच.सी./इलेक्ट्रानिक.....

1-तौल लिपिक के पास वैध लाइसेन्स एवं अधिकार पत्र (है/नहीं है)
.....
....
2-समिति लिपिक के पास अधिकार पत्र (है/नहीं है).....
3-कांटा जॉच पंजिका के निरीक्षण की स्थिति.....

4-क्रय केन्द्र पर उपलब्ध मानक बांट की मात्रा.....

5-विधिक बांट माप विभाग द्वारा कांटे एवं मानक बांट को सील (मुहरबन्द) किये जाने की स्थिति (है/नहीं है).....

6-क्रय केन्द्र पर दण्ड तुला (एक बार में न्यूनतम 50 किग्रा. क्षमता) मिल गेट पर 10 टन मैनुअल कांटा स्थापित होने की स्थिति(है/नहीं है).....
7-केन्द्र पर वर्तमान मिल तौल लिपिक की तैनाती की तिथि.....
8-क्रयकेन्द्र पर पीने के पानी की व्यवस्था (है/नहीं है).....
9-नियमों के सारांश बोर्ड पर चस्पा होने की स्थिति (है/नहीं है) .....
10-निरीक्षण पंजिका गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त एवं जिला गन्ना अधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति (है/नहीं है) .....

11-कांटा जॉच की निरीक्षण टिप्पणी एवं निर्देश.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ह.) मिल तौल लिपिक (ह.) निरीक्षणकर्ता

अन्य-

(3) चीनी मिल गेट पर प्रत्येक दशा में न्यूनतम् दस टन क्षमता का एक मैनुअल कॉटा उपयुक्त स्थान पर स्थापित करना सुनिश्चित किया जाये ताकि संदेह की स्थिति में तौल हुई गाड़ियों की तुलनात्मक तौल कृषक सुगमतापूर्वक कर सकें।

(4) संदेह की स्थिति में इलेक्ट्रानिक कॉटे से तौल के उपरोक्त मैनुवल कॉटे से तौल करायी जाती है तो,भरी गाडी के साथ-साथ खाली गाडी का वजन भी इलेक्ट्रानिक एवं मैनुवल दोनों कॉटों पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) चीनी मिल गेट पर तौल के लिए लगाये गये कम्प्यूटराइज्ड कॉटों में जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया हो उसकी सी.डी. प्राप्त कर गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त अपने कार्यालय में अवश्य सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकतानुसार तकनीकी जॉच की जा सके।

(ख) तौल लिपिकों के लाइसेंस एवं तैनाती

(1) चीनी मिल प्रारम्भ होने/गन्ना क्रय केन्द्र संचालित होने के कम से कम पन्द्रह (15) दिन पूर्व मिल तौल लिपिकों के लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट से बनवाकर चीनी मिलों को जारी करा दिये जाये, जिससे तौल करने से पूर्व तौल कर्मियों का वैध लाइसेंस उनके पास हों। अग्रेतर ऐसी चीनी मिलें, जिनका कार्यक्षेत्र एक से अधिक जनपदों में आता है तो निर्गत तौल लाइसेंसों को सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर करवाना आवश्यक होगा।

(2) तौल लिपिकों को लाइसेंस जारी करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि पूर्व में दण्डित किसी कर्मी को तौल हेतु लाइसेंस जारी न किया जाये । यह भी संज्ञान में लाया गया है कि कुछ ग्रुप की कई-कई चीनी मिलें है तथा एक चीनी मिल में तौल लिपिक दण्डित होने पर उसी ग्रुप की दूसरी चीनी मिल हेतु सूचनाओं को छिपाकर तौल कार्य हेतु लाइसेंस जारी करा लिया जाता है, ऐसे प्रकरण में विशेष सतर्कता बरती जाये। यदि अन्य चीनी मिले किसी दूसरे गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त के कार्यक्षेत्र में आती है तो उनसे लाइसेंस जारी करने के सबंध में आख्या प्राप्त करने के पश्चात् ही लाइसेंस जारी कराने की कार्यवाही की जाये।

(3) गन्ना तौल लिपिक जिस केन्द्र पर लगाया जाये वह उस क्रय केन्द्र का स्थानीय निवासी न हों। स्थाई निवास के प्रमाण हेतु लाइसेंस बनाये जाने की प्रक्रिया के समय ही समस्त तौल लिपिकों के स्थाई पते के प्रमाण हेतु फोटो युक्त प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड की प्रति सहायक चीनी आयुक्त को उपलब्ध करायी जाये तथा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ (मुख्यालय) पर भी उक्त सूचना प्रेषित की जाये।

(4) मिल एवं समिति तौल लिपिकों के पाक्षिक स्थानान्तरण इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि एक तौल लिपिक पूरे पेराई सत्र में किसी क्रयकेन्द्र पर दुबारा तैनात न किया जाये। इसके लिये आवश्यक है कि तौल लिपिकों की तैनाती लाटरी सिस्टम से करें तथा लाटरी प्रक्रिया के साक्षी सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी एवं गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त भी हो तथा स्थानान्तरित तौल लिपिकों की सूची उसी दिन उप गन्ना आयुक्त/उप चीनी आयुक्त/संयुक्त चीनी आयुक्त (मु.) को ई.-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाए।

(ग) निरीक्षण

(1) निरीक्षण पत्र में उल्लेखित सभी बिन्दुओ पर प्रविष्टियॉ अंकित की जाये ।

(2) जिन क्रय केन्द्रों पर निरीक्षण के दौरान अशुद्ध/समायोजित कॉटे पाये जाये, जिससे गन्ना कृषकों को हानि होती हो, निरीक्षण पत्र प्राप्ति के तत्काल बाद सम्बन्धित तौल लिपिक के लाइसेंस के निलम्बन के साथ ही उ.प्र. गन्ना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम 33(ए) के आधार पर अतिरिक्त गन्ना मूल्य के आदेश सम्बन्धित पक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये कलेक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से तत्काल पारित कराये जायें।

(3) जिन क्रय केन्द्रों पर निरीक्षण के समय अशुद्ध कॉटा/घटतौली आदि पायी जाती है उनके निरीक्षण पत्र कार्यालय में प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर सम्बन्धित तौल लिपिको के लाइसेंस निलम्बित कर दिये जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे लिपिको को 72 घण्टे के अन्दर कार्य से हटाकर मूल तौल लाइसेंस, मिल अध्यासी द्वारा तीन दिन के भीतर गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त के कार्यालय में जमा करा दिये जाये।

(4) अन्य अधिकारियों द्वारा कॉटा अशुद्ध/कम तौल अथवा समायोजित पाये जाने की दशा में निरीक्षण पत्र मूल रूप में गन्ना निरीक्षक को 24 घण्टे के भीतर प्राप्त करा दिये जाये। गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, निरीक्षण पत्र प्राप्त होते ही निलम्बन की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अन्तर गन्ना मूल्य के भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ करायेंगे।

(5) निरीक्षण इस प्रकार किये व कराये जाए कि संचालित सभी क्रय केन्द्रों का माह में कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य हो जाये। निरीक्षण करने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि चीनी मिलों के समस्त संचालित गन्ना क्रय केन्द्रों का पेराई सत्र के दौरान कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य हो जाये। बार-बार एक ही चीनी मिलों के क्रय केन्द्रों का निरीक्षण न किया जाये। चीनी मिल के द्वारा संस्थापित दुर्गम क्षेत्र (इन्टीरियर) के क्रय केन्द्रों का निरीक्षण अधिक से अधिक किये जाये। सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक/जिला गन्ना अधिकारी उनके क्षेत्र में संस्थापित क्रय केन्द्रों का 2 प्रतिशत निरीक्षण प्रति माह अवश्य करें और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पेराई समाप्ति पर कोई क्रय क्रेन्द्र बिना निरीक्षण के न रहें। उप चीनी आयुक्त/उप गन्ना आयुक्त प्रत्येक चीनी मिल के कम से कम 02 प्रतिशत क्रय केन्द्रो का निरीक्षण अवश्य करें।

(6) विगत तीन पेराई सत्रों में जिन क्रय केन्द्रों पर घटतौली की शिकायते प्राप्त हुई है, उनकी जॉच प्रथम चरण में कर ली जाय, साथ ही जिन क्रय केन्द्रों पर गन्ने की आपूर्ति विगत वर्षों में अधिक रही है, उन क्रय केन्द्रों की जॉच प्राथमिकता पर की जाये।

(7) चीनी मिलें, यदि मिल संचालन के 15 दिन के अन्दर आवंटित क्रय केन्द्र संचालित नही करती है, तो सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी से आख्या प्राप्त कर गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त उनके विरूद्ध नियमानुसार अभियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

(घ) पर्ची

(1) समिति सप्लाई पर्ची तथा कैलेण्डर के पृष्ठ भाग पर यह स्लोगन अंकित किया जाए कि ''घटतौली दण्डनीय अपराध है''।

(2) प्रत्येक गन्ना क्रय केन्द्र पर (Indent) के अनुसार वितरित समिति पर्चियों की सूची निश्चित रूप से प्रदर्शित की जाय।

(3) गन्ना पर्चियों पर खरीदे गये गन्ने की अद्यावधिक क्रय शीट क्रय केन्द्र पर तौल लिपिक के पास सदैव उपलब्ध रखी जाये।

(च) कॉटे का सत्यापन

चीनी मिल विधिक माप विज्ञान विभाग के द्वारा समस्त तौल कॉटों की स्टैम्पिंग कराकर उसकी सूची चीनी मिल प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व अनिवार्य रूप से गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को उपलब्ध कराये। किसी भी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दशा में बिना सत्यापन के कोई भी कॉटा प्रयोग में न लाया जाये, तद्हेतु गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ के स्तर से, निदेशक, विधिक माप विज्ञान, उ.प्र., लखनऊ को बॉट माप विभाग के जनपदीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करने के संबंध में निर्देश भी दिये गये हैं।

(छ) समानुपातिक खरीद

चीनी मिलों द्वारा गन्ने की समानुपातिक खरीद पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केन इम्पलीमेंटेशन कमेटी की बैठक में समानुपातिक खरीद की विस्तृत समीक्षा की जाये एवं समानुपातिक खरीद को सुनिश्चित कराया जाये।

(ज) स्मार्ट वेमेण्ट (Smart Weighment)

(1) स्मार्ट वेमेण्ट के अन्तर्गत गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ने की तौल की सूचना तथा ग्रासवेट (Grass Weight), टेयरवेट (Tare Weight), वाजिब गन्ना मूल्य, बैंक खाता नम्बर आदि की सूचना कृषकों को उनके मोबाइल नम्बरो पर एस.एम.एस. के माध्यम से उपलब्ध करायें जाने की व्यवस्था की जाए।

इस हेतु जिला गन्ना अधिकारियों का यथा आवश्यक सहयोग भी लिया जाये। जिन क्रय केन्द्रो पर हैण्ड-हैल्ड कम्प्यूटर से गन्ना क्रय किया जा रहा है, उस केन्द्र पर कम्प्यूटर से निर्गत तौल पर्ची किसानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि चीनी मिल एस.आई.एस. के इन घटकों का पालन नहीं करती है तो सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(2) गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त का उत्तरदायित्व होगा कि उनके कार्यालय में निरीक्षण प्रति प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर निरीक्षण में उल्लिखित अनियमितताओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायें।

(3) क्रय केन्द्रों पर जॉच अधिकारी/टीम के पहुँचने पर प्रायः तौल कर्मी तौल बन्द करके भाग जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सम्बन्धित क्रय केन्द्र पर नियुक्त तौल लिपिक के साथ-साथ क्रय केन्द्र संचालित करने वाली चीनी मिल के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये।

(4) प्रत्येक चीनी मिल द्वारा एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा। चीनी मिल का गन्ने से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी इसका नोडल अधिकारी तथा उससे निम्न स्तर का अधिकारी उप नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

(5) चीनी मिल का कन्ट्रोल रूम मिल चलने की अवधि में 24 घण्टे अनवरत कार्य करेगा। जहॉ गन्ना किसानों के गन्ना खरीद आदि के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान चीनी मिल द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) चीनी मिल के कन्ट्रोल रूम /नोडल/उप नोडल अधिकारी का मोबाइल/दूरभाष नम्बर मिल गेट के साथ-साथ सभी क्रय केन्द्रों पर अंकित किया जायेगा तथा इसकी सूचना सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त/जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त/उप चीनी आयुक्त को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) कम्प्यूटराइज /इलेक्ट्रानिक तौल केन्द्रों पर डिजिटल डिस्प्ले उचित आकार का एवं बेब्रिज के बाहर ऐसे स्थान पर लगाया जायेगा जो गन्ना तुलवाने वाले कृषकों को स्पष्टतः दृश्य हो।

(8) गन्ना वाहन को तुलवाने हेतु तौल प्लेट फार्म पर चढाने के पूर्व कॉटे का शून्य बैलेंस सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) ढुलाई वाहन के उपलब्ध न होने की स्थिति में कृषक का खडी तौल हेतु बाध्य नही किया जायेगा तथा क्रय केन्द्र पर उपलब्ध वाहनों की तौल कराकर गन्ना क्रय केन्द्र के प्लाट पर अनलोड करा लिया जायेगा।

(10) चीनी मिलों द्वारा संचालित किसी भी क्रयकेन्द्र पर गन्ना किसानों से उनके गन्ने की लोडिंग हेतु कोई प्रत्यक्ष/परोक्ष शुल्क नही लिया जायेगा। यदि किसी क्रय केन्द्र पर किसानों से लोडिंग/अनलोडिगं हेतु किसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रकार का शुल्क लिए जाने की सूचना पाई जाती है तो चीनी मिल अध्यासी/ महाप्रबन्धक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(11) चीनी मिल के तौल केन्द्रों पर निर्धारित मानक के बॉट उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

(12) चीनी मिल के तौल कॉटों की शुद्धता निगरानी हेतु धर्मकॉटों का चिह्नांकन निकटतम् स्थल पर किया जायेगा।

(13) उक्त के अतिरिक्त क्रय केन्द्रों पर मिल गेट के कॉटों के निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ के द्वारा प्रारूप निर्धारित करते हुए गूगल ड्राइब पर अपलोड कर दिये गये है। तद्नुसार सम्बन्धित सूचनाए गूगल ड्राइब पर ससमय अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(14) प्रत्येक क्रय केन्द्र पर 3x2 फिट के फ्लैक्स/आयरन बोर्ड पर क्षेत्रीय अधिकारियों के मोबाइल नम्बर एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र. का टोल फ्री नम्बर- 18001213203 निम्न क्रम में उचित स्थान पर प्रदर्शित किया जाए।

नाम-क्रयकेन्द्र.....

नाम-चीनी मिल.....

(क) नोडल अधिकारी चीनी मिल.....

(ख) सचिव, गन्ना समिति.....

(ग) ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक .....

(घ) जिला गन्ना अधिकारी .....

(ड.) गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, ...

(च) उप गन्ना आयुक्त.....

(छ) गन्ना आयुक्त, कार्यालय टोल फ्री.....

-x-x-x-x-

कृपया घटतौली को रोके जाने एवं उस पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निर्धारित की गई उपर्युक्त व्यवस्था एवं दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन एवं उसके अनुसार जनपद स्तर पर प्रभावी रुप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(**संजय आर. भूसरेड्डी**)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 01 /2018/3001(1)/46-3-17-3(57)/2017, तद्दिनांकित</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों से गन्ना एवं चीनी विभाग के समस्त अधिकारियों को अवगत कराते हुए उसका अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करायें एवं इस आदेश/निर्देश को गन्ना विभाग की विभागीय वेबसाइट एवं सोशल मीडिया पर अपलोड/प्रचार -प्रसार भी कराने तथा उक्त दिशा-निर्देशों से प्रदेश समस्त चीनी मिलों को अनुपालन हेतु अपने स्तर से संसूचित/उपलब्ध भी कराने का कष्ट करें।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।

4- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- निदेशक, विधिक माप विज्ञान, उ.प्र., 7-बालाकदर रोड, कैसरबाग, लखनऊ।

6- समस्त उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8- समस्त सहायक चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

9- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ.प्र. शासन।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।